तत्काल
अत्यावश्यक

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./ बी–6/नियमन/उपविधि/संशोधन/6208 भोपाल,दिनांक 28/03/2017

प्रति,

अपर/संयुक्त/उप संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा

विषयः– मंडी समितियो मे अवकाश के संबंध मे।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र बी–6/नियमन/उपविधि/संशोधन दिनांक 09.04.2015

वित्तीय वर्ष 2016–17 समाप्ति की ओर है। मंडियो मे त्यौहारो के अवसर के चलते अवकाश स्थितियां निर्मित हो रही है। मंडियो मे अवकाश के संबंध मे मण्डी समितियो के लिये उपविधि वर्ष 2000 की कंडिका 16(ज) मे किये गये संशोधन आदेश दिनांक 09.04.2015 की प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मंडियो के लिये निर्धारित आवक–आय लक्ष्यो की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये उपविधि वर्ष 2000 की कंडिका 16 (ज) के अनुसार आपके संभाग की सभी मंडियो के संचालन हेतु कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / उप विधि / संसोधन / 2015 / 3182. भोपाल, दिनांक 09/04/2015

–:: <u>आदेश</u> ::–

म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में किसानों को सतत् एवं सुव्यवस्थित विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 10.05.2015 तक " **मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000** " में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करें :–

(1) <u>उपविधि सन–2000 के **अध्याय चार** में मंडी समिति द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण हेतु निर्धारित कंडिका 16 (ज) के अंत में निम्नानुसार **नवीन परन्तुक** को स्थापित किया जाए</u> :–

(16) (ज) – परन्तु, मंडियों में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त यदि निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट अंतर्गत घोषित बैंकिंग अवकाश या अन्य घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण लगातार दो दिवस या इससे ज्यादा मंडी मे अवकाश की स्थिति निर्मित हो रही होगी, तो मंडी समिति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह आंचलिक संयुक्त संचालक / उप संचालक के लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे अवकाशो को घोषित करे अन्यथा नही। संयुक्त संचालक / उप संचालक, आंचलिक कार्यालय, जनहित में मंडी के द्वारा पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त कर सकेगे, परन्तु उनके द्वारा मण्डी अवकाश निरस्तीकरण के लिए विधिवत् कारण सहित आदेश जारी किया जावेगा।

विनिर्दिष्ट कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपविधि सन 2000 में उपरोक्तानुसार संशोधन करने में असफल रहने की स्थिथति में उपविधि सन 2000 के उक्त संशोधन म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनॉक 11.5.2015 से मण्डी समिति पर आबद्वकर होगें।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./ क्रमांक/ बी–6/नियमन/उप विधि/संशोधन/2015/3783 भोपाल, दिनांक 09/04/2015

प्रतिलिपिः–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।

(2) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

(3) संयुक्त संचालक/ उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इन्दौर/उज्जैन/भोपाल/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा को निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000 में उक्त संशोधन संभाग की प्रत्येक मंडी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई के संबंध में संभाग की समस्त मंडियों का संकिलित पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित करें।

(4) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त) की ओर पालनार्थ। मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000 में अपेक्षित उक्त संशोधन मंडी समिति द्वारा नियमानुसार प्रस्तावित पारित कर विनिर्दिष्ट कालावधि में स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल